न्यायालय उपखण्ड अधिकारी शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
पीठासीन अधिकारी श्वेता चौहान आई0ए0एस0

प्रकरण संख्या – 19/14 दायर दिनांक– 27.01.2014 निर्णय दिनांक– 04.03.2020

उनवान

1. श्रीमति कन्या पत्नी मुन्ना खटीक निवासी शाहपुरा।

–प्रार्थिया

बनाम

1. शैतान पुत्र भागीरथ गुर्जर निवासी सेवनी।
2. कालु पुत्र भागीरथ गुर्जर निवासी सेवनी।
3. कमली पत्नी भागीरथ गुर्जर निवासी सेवनी।
4. रतनी देवी पत्नी तेजमल भील निवासी शाहपुरा।
5. बालकिशन पुत्र सोहन लाल गुर्जर निवासी सेवनी।
6. देवकिशन पुत्र लक्ष्मण गुर्जर निवासी सुरजपुरा सेवनी।
7. सायरी पत्नी रामकिशन गुर्जर निवासी सुरजपुरा सेवनी।
8. गोपाल पुत्र मगना गुर्जर निवासी सेवनी (मृतक)
   (1) गीता देवी पत्नी गोपाल गुर्जर निवासी सेवनी।
   (2) सुनील पुत्र गोपाल गुर्जर निवासी सेवनी।
   (3) पूजा पुत्री गोपाल गुर्जर निवासी सेवनी जरिए माता गीता देवी पत्नी गोपाल गुर्जर
9. औनाड पुत्र कल्याण गुर्जर निवासी सेवनी।
10. मगना पुत्र कल्याण गुर्जर निवासी सेवनी।

–अप्रार्थीगण

उपस्थिति– 1. श्री दुर्गालाल राजौरा
अभिभाषक प्रार्थिया
2. श्री कैलाश सुवालका
अभिभाषक अप्राथीगण सं0 8,9,10

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आर0टी0ए0

निर्णय

प्रार्थना पत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीया ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आर0टी0ए0 विरूद्ध विपक्षीगण के प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उसके खातेदारी की आराजी खसरा नम्बर 423 रकबा 0.63 है0 कृषि भूमि ग्राम शिवपुरा प0म0 प्रतापपुरा तहसील शाहपुरा में स्थित है जिस पर आने जाने एवं कृषि उपकरण लाने ले जाने के लिए 10 फीट चौड़ा रास्ता दिलाया जावे। विपक्षीगण के ग्राम सेवनी सुरजपुरा प0ह0 प्रतापपुरा की कृषि भूमि आराजी खसरा नम्बर 416 रकबा 0.65 है0, 419 रकबा 0.44 है0, 420 रकबा 0.47 है0, 422 रकबा 0.41 है0, 420/983 रकबा 0.35 है0 स्थित है। खसरा नम्बर 420, 419, 420/983, 422 से होकर प्रार्थीया के आराजी खसरा नम्बर 423 में जाता है। जिसे विपक्षीगणो ने बंद कर रखा है एवं खेत पर आने जाने हेतु रास्ता रोककर लड़ाई झगडा करते है। प्रार्थीया काश्त नही कर पा रही है। अतः प्रार्थीया को स्वयं की कृषि भूमि पर आने जाने हेतु आराजी खसरा नम्बर 416, 420, 420/983, 422 से होकर आराजी नम्बर 423 में जाने हेतु व फसल बुवाई व कटाई के साथ कृषि उपकरण ट्रेक्टर, टीलर व ट्रोली को लाने व जाने हेतु 10 फीट चौड़ाई के रास्ते के दिलाया जाना आवश्यक है।

प्रकरण पंजीबद्ध किया जाकर विपक्षीगण को जरिए सम्मन तलब किया गया। दिनांक 19.05.02014 को विपक्षीगण सं0 06, 07 उपस्थित नहीं होने से एक तरफा कार्यवाही की गयी। दिनांक 29.09.2014 को विपक्षीगण सं0 08,09,10 की ओर से जवाब प्रस्तुत किया गया। दिनांक 19.11.2014 को विपक्षी सं0 05 उपस्थित नहीं होने से एक तरफा कार्यवाही की गयी एवं विपक्षीगण सं0 01, 02, 03, 04 का जवाब बंद किया जाकर प्रकरण बहस के नियत किया गया। दिनांक 14.10.2015 को तहसीलदार शाहपुरा से रास्ता संबंधी मौका रिपोर्ट मंगवाई गयी। दिनांक 17.01.2017 को अभिभाषक प्रार्थीया द्वारा विपक्षी सं0 08 गोपाल

उपखण्ड अधिकारी
सहायक कलेक्टर,
शाहपुरा (भीलवाड़ा)

Scanned with CamScanner

...की मृत्यु हो जाने से प्रार्थना पत्र 22 आर 4 सीपीसी के पेश किया गया। जिसकी नकल विपक्षी को दी गयी। दिनांक 14.02.2017 को अभिभाषक विपक्षी द्वारा बताया गया कि जवाब प्रस्तुत नहीं कर सीधी बहस करना चाहते है। दिनांक 25.04.2017 को अभिभाषक विपक्षी द्वारा प्रा0 प0 022 आर 4 सीपीसी पर अपनी सहमति प्रकट की गयी। जिससे प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर संशोधन उनवान प्रस्तुत करने एवं प्रोसेस सम्मन पेश करने पर गोपाल के वारीसान की तलबी के आदेश दिये गये। दिनांक 13.03.2018 को अभिभाषक प्रार्थीया द्वारा संशोधन उनवान पेश किया गया। विपक्षी सं0 08 के वारीसान की तलबी की गयी। जिनकी ओर से अभिभाषक श्री सुवलका ने अधिकार पत्र पेश किया। दिनांक 23.07.2019 को अभिभाषक श्री सुवलका द्वारा बताया कि विपक्षी सं0 08 द्वारा प्रस्तुत जवाब को ही का0मु0 का जवाब माना जावे। प्रकरण में तहसीलदार शाहपुरा के पत्रांक/977 दिनांक 18.07.2016 से मौका रिपोर्ट प्रस्तुत हुई किन्तु डीएलसी रिपोर्ट नहीं होने से तहसीलदार शाहपुरा को 25.11.2019 को डीएलसी के आधार पर मालियत की रिपोर्ट मय डीलएसी की प्रति प्रस्तुत करने हेतु लिखा गया। प्रकरण में दिनांक 04.03.2020 को डीएलसी रिपोर्ट प्राप्त हुई। प्रकरण में बहस उभयपक्ष सुनी गई। अभिभाषक प्रार्थीया को प्रा0पत्र में अंकित तथ्यों, मौका रिपोर्ट तहसीलदार शाहपुरा के आधार पर प्रा0पत्र स्वीकार किये जाने हेतु निवेदन किया। प्रकरण एवं प्रस्तुत राजस्व अभिलेख, मौका पर्चा का अवलोकन किया गया। तहसीलदार शाहपुरा से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार प्रार्थीया की उक्त आराजी पर आने जाने हेतु अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है एवं उक्त खसरान नम्बर की मेड से जाना बताया है। अतः तहसीदार शाहपुरा से प्राप्त रिपोर्ट एवं भूमि की डीएलसी अनुसार मालियत के संबध में पैरोकार सरकार द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट अनुसार प्रार्थीया के खातेदारी की आराजी सं0 423 रकबा 0.63 है0 जो ग्राम शिवपुरा प0म0 प्रतापपुरा में स्थित है, जिस पर पहुंच हेतु निम्न सारणी अनुसार खातेदारान की आराजियात में से रास्ता दिया जाना है।

क्र. सं.	नाम खातेदारन	आराजी नम्बर	कुल रकबा	रास्ते हेतु वांछित भूमि ल. × चौ. वर्ग फीट में	रकबा वर्ग फीट में	रकबा है0 में	डीएलसी दर प्रति है0	डीएलसी अनुसार भूमि की मालियत को रास्ते हेतु दुगना करने पर राशि
1.	लादु भुवाना पिता बीरम 1/2 चन्ता नोसी रसाली सुगना पिता खाना 1/4 कमली पत्नी भागीरथ शैतान पिता भागीरथ ललिता काजू पिता भागीरथ ना0बा0 स0प0 माता कमली गुर्जर सा0 सुरजपुरा	416	0.65 है0	414 × 13.50	5590	0.0520	1037142	107858.00
2.	रतनी देवी पत्नी तेजमल भील सा0 शाहपुरा	420	0.47 है0	205 × 13	2665	0.0248	691614	34303.00
3.	बिलानाम सरकार	420/983	0.35	126 × 13	1638	0.0152	691614	21024.00
4.	बिलानाम सरकार	422	0.41	152 × 13	1976	0.0184	691614	25450.00
	कुल राशि							188635.00

आदेश

प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आर0टी0ए0 स्वीकार किया जाकर वाके ग्राम शिवपुरा प0म0 प्रतापपुरा तहसील शाहपुरा में स्थित प्रार्थी की आराजी नम्बर 423 रकबा 0.63 है0 में आने जाने हेतु खातेदार लादु भुवाना पिता बीरम 1/2 चन्ता नोसी रसाली सुगना पिता खाना 1/4 कमली पत्नी भागीरथ शैतान पिता भागीरथ ललिता काजू पिता भागीरथ ना0बा0 स0प0 माता कमली गुर्जर सा0 सुरजपुरा की आराजी नम्बर 416 रकबा 0.65 है0 में से 414 फीट लम्बा 13.50 फीट चौड़ा रास्ता हेतु कुल 5590 वर्ग फीट (0.052 है) भूमि जिसकी डी0एल0सी0 दर की दुगनी राशि 107858/— रूपये, रतनी देवी पत्नी तेजमल भील सा0 शाहपुरा की आराजी नम्बर 420 रकबा 0.47 है0 में से 205 फीट लम्बा 13 फीट चौड़ा रास्ता हेतु कुल 2665 वर्ग फीट(0.0248 है0) भूमि जिसकी डी0एल0सी0 दर की दुगनी राशि 34303/— रूपये, बिलानाम भूमि आराजी नम्बर 420/983 रकबा 0.35 है0 में से 126 फीट लम्बा 13 फीट चौड़ा रास्ता हेतु कुल 1638 वर्गफीट (0.0152 है0) भूमि जिसकी डी0एलसी0 दर की दुगनी राशि 21024/— रूपये, तथा बिलानाम भूमि आराजी नम्बर 422 रकबा 0.41 है0 में से 152 फीट लम्बा 13 फीट

उपखण्ड अधिकारी
सहायक कलेक्टर
शाहपुरा (भीलवाड़ा)

Scanned with CamScanner

...ड़ा रास्ता हेतु कुल 1976 वर्गफीट(0.0184 है0) भूमि जिसकी डी0एल0सी0 दर की दुगनी अनुसार राशि 25450/- रूपये इस प्रकार कुल राशि 188635/- रूपये द्वारा तहसीलदार शाहपुरा के उपरोक्त खातेदारान को भुगतान किये जाने हेतु जमा कराये जाने के उपरान्त राजस्व रेकार्ड में सार्वजिनक रास्ता दर्ज किये जाने का आदेश तहसीलदार शाहपुरा को दिये जाते है। उक्त आराजी का नक्शे में तरमीम किया जाकर पालना रिपोर्ट इस न्यायालय को पेश करें। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम हो।

आदेश आज दिनांक 04.03.2020 को सुनाया गया।

(श्वेता चौहान)
आई0ए0एस0
उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर शाहपुरा(भीलवाड़ा)

उप खण्ड अधिकारी शाहपुरा (भीलवाड़ा)

प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार शाहपुरा को पालनार्थ।

-Sd-
उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर शाहपुरा(भीलवाड़ा)

Scanned with CamScanner